

2020/00000


न्यायालय

42/20

गोपी बंगम कुटिलकार

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>दिनांक 7/5/21 को अधिसूचना 19 जारी की गई थी जिसमें पत्रावली में उक्त कार्यवाही के लिए आज P.O. सा. दौरे/अन्य कार्यवाही में पत्रावली पेश की जा सकती है।</p> <p>पत्रावली दिनांक 22/7/21 को पेश हो।</p>	
	22/7/21	<p>पत्रावली पेश की जा सकती है। P.O. सा. दौरे/अन्य कार्यवाही में पत्रावली पेश की जा सकती है।</p> <p>नहीं पेश हो।</p> <p>17/8/21 को पेश हो।</p>	
	17.8.21	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 17-9-21 को पेश हो।</p>	
	17/9/21	<p>पत्रावली पेश हुई। बकील पक्षका उपस्थित। पत्रावली वास्तु जवाब डा पत्र 026R9480 हेतु दिनांक 12/10/21 को पेश हो।</p>	
	12/10/21	<p>राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 26/11/2021 दिनांक 26/11/2021 में पत्रावली पेश की जा सकती है।</p> <p>दिनांक 26/11/2021 में पत्रावली पेश हो।</p> <p>पक्षकारों को पत्रावली पेश हो।</p>	
	26/11/21	<p>पत्रावली आज पत्रावली दिनांक 26/11/21 को पेश की जा सकती है।</p> <p>पत्रावली दिनांक 26/11/21 को पेश की जा सकती है।</p> <p>पत्रावली दिनांक 26/11/21 को पेश की जा सकती है।</p>	

गोपी बंगम



गोपी बंगम
 मा. न्यायाधीश
 गंगासहाय
 न्यायाधीश

2020/00055

फर्द अहकाम

रायबरेली जिला जयपुर

न्यायालय

गोपी बनाम बुद्धि प्रकाश

मुकदमा संख्या / वर्ष

42 / 2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>सहकरि पत्र पेश किया जो शामिल किया है। पत्रबली का प्रत्येक एक वारी व परिवारी को वाड पत्र पर पुत्रों के पश्चात वारी का वाड पत्र सहकरि पत्र के आधार पर सीमा विभाजित करने तथा बटाल तेजा को अडेवा दिया जाता है कि वाड पुत्र आजात ख. र. 130 ख. नं. 1. 1254 हेक्टर पर स्थित जमीन बालगढ़ तहसील तेजा जिला जयपुर का दो क्र. अ. नि. व-चार परवारी की संयुक्त शीत गन्धि का निपटानुसार सीमा जान लो। उक्त सीमा जान पश्चात यदि वारी का भूति में परिवारी गण को भूति मिलती है तो उसे वारी दोड़ने को पाकड़ रहेगा तथा यदि परिवारी गण को भूति में वारी गण को भूति मिलती है तो उसे परिवारी गण दोड़ने को पाकड़ रहेगा। इन तब सीमा जान नहीं होता है तो उक्त पक्ष को सीमा जान सिद्ध करवाये जायेगा कि सीमा जान के पश्चात वारी व परिवारी गण आपस आपस</p>	

2020/00055

सहायक सचिव जिला जयपुर

42/20 गौरी काम कुंडी पुकरा

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. सं.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

श्रीमान में पाठक रहे हैं डिप्टी फ्लोर
 15 दिनांक
 जारी हो उम्मा गुमाद पाठक रहे
 तहसील जारी हो, निगम व डिप्टी
 जी पाठक रहे तहसील दाल कमी
 को लिखत जावे। फरावली फौजदर थुमा
 होकर काउत कमील इलिकुट दफतार हो।

आज्ञा दिनांक 26.11.21 को पर
 निगम प्रशासन गौरी दे मंग अफ
 थार केमप लालगढ़ में सभने अफ
 में मुताबत जावे

(36)

सहायक सचिव जिला जयपुर

5

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी

1. गोपी पुत्र लछम्यो उर्फ लक्ष्मीनारायण बनाम
2. गंगासहाय पुत्र कल्याण
समस्त जाति मीणा निवासीगण बंधा
की ढाणी ग्राम लालगढ तह. बस्सी
जिला जयपुर।

प्रतिवादी

1. बुद्धिप्रकाश
2. दुलीचन्द
3. कालूराम
4. यादराम
5. मोहनलाल पुत्रान गणेशलाल
जाति मीणा निवासीगण ढाणी बंधा की ग्राम
लालगढ तह. बस्सी जिला जयपुर।
6. तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।
7. सबरजिस्टार बस्सी तह. बस्सी जिला
जयपुर।

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 42/20

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 130 रकबा 1.1254 हेक्टेयर स्थित ग्राम लालगढ तह. तूंगा जिला जयपुर का दो भू.अ.नि. एवं चार पटवारी की संयुक्त टीम गठित कर नियमानुसार सीमा ज्ञान करें। उक्त भूमि का सीमा ज्ञान पश्चात यदि वादी की भूमि में प्रतिवादीगण की भूमि निकलती है तो उसे वादी छोड़ने के लिये पाबंद रहेगा तथा यदि प्रतिवादीगण की भूमि में वादी की भूमि निकलती है तो उसे प्रतिवादीगण छोड़ने के लिये पाबंद रहेगा। जब तक सीमा ज्ञान नहीं होता है तो उभय पक्ष मौके की यथा स्थिति बनाये रखेंगे। एवं सीमाज्ञान के पश्चात वादी व प्रतिवादी अपनी- अपनी सीमा में पाबंद रहेगे।..... निजी.....
..... मुबलिक..... बाबत..... खर्चा..... इस मुकददमें
का मय सूद वगैरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..... को अदा
करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 26.11.2021 को जारी किया गया।

मोहर

ओहदा

दस्तख्त

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जा दावा			स्टाम्प अर्जा दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर